सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 27, गुरूवार, *शाके* 1947- सितम्बर 18, 2025
Bhadra 27, Thursday, Saka 1947- September 18, 2025

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय कलेक्टर एवं, जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 11, 2025

संख्या न्याय/ग्रुप-II/स्पीड लिमिट/परिवहन/2025/:-मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत बने राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 8.1 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन एच148 (मनोहरपुर-दौसा खण्ड) पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा, व्यापक जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से नियंत्रित करते हुए विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए उनके अग्र अंकित अनुसार तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा निर्धारित करता हूँ।

क्र.सं.	विवरण	भार वाहन			बस	हल्के यात्री वाहन			
		ट्रोला	ट्रक	हल्के भार वाहन		चार पहिया	तीन पहिया	दो पहिया	ई-रिक्षा
1	एन एच148 दौसा से मनोहरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग	50	60	60	60	75	-	60	-

यह अधिसूचना इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक न्याय/ग्रुप-II/स्पीड लिमिट/परिवहन/2022/1602 दिनांक 14.06.2022 में आंषिक संषोधन करते हुए उपरोक्त तालिका में अंकित अधिकतम गति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन एच148 (मनोहरपुर-दौसा खण्ड) के 4 लेन का हो जाने तक प्रभावी होगी। उपरोक्त अधिसूचना की अवहेलना करने पर मोटरयान अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत आवष्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाषित होने की तिथि से लागू होगी।

डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी,
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।